

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) एवं 01 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 300000/- (तीस हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 3300000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० पृथ्वीचंद मंडल, श्री जागेश्वर मंडल, पि० जाति	श्रीमती तेतरी देवी (पत्नी)	154/21.04. 18	ग्रा०+पं०-बोकनतरी, पो०-भीड़भीड़ी, था०+प्र०-सिकटी, अररिया	11887825 283	SBI, BHIRBHENI, SBIN0008563	₹ 300000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मछली पालन एवं शिकार माते (असंगठित क्षेत्र) मजदूर
2	स्व० अरविन्द यादव, श्री जोखन यादव, पि० जाति	श्रीमती सुलेखा देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०+पं०-पलासी, था०+प्र०-नरपतगंज, अररिया	45671010 03752	Canara Bank, Forbesganj, CNRB000456 7	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि नियोजन में श्रमिक
3	स्व० विनोद कुमार यादव, श्री जागेश्वर यादव, पि० जाति	श्रीमती सुलोचना देवी (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-नवटोली कौआकोह, पं०-कौआकोह, पो०-तीरा खारदह, प्र०-सिकटी, था०-बरदाहा, अररिया	20338353 578	SBI, Kursakanta, Araria, SBIN0010086	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० मो० इकबाल, मो० साबिर, पि० जाति	श्रीमती हीना खातून (पत्नी)	तदैव	ग्रा०-जुम्मन चौक, पं०-मटियारी, पो०+था०+प्र०-फारबिसगंज, अररिया	20272775 558	SBI, Forbesganj, SBIN0015926	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में नियोजित

कुल :- ₹ 3300000/-

(तीन लाख तीस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-25/2018 के पृष्ठ-08/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-25/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित

करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-


(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-25/2018-५३३


पटना, दिनांक :- 13-09-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 330000/- (तीन लाख तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, अररिया को उनके पत्रांक 307 दिनांक 11.08.20185 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, अररिया को उनके पत्रांक 154 दिनांक 21.04.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।